

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5

लखनऊ : : दिनांक 03 दिसम्बर, 2018

विषय:- जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1048/12-(भवन)-23/94 दिनांक 12 जुलाई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-341/एक-5-2014-64/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा कार्य की मानकीकृत लागत रू0 340.26 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-2146/एक-5-2014-64/2013, दिनांक 07 जनवरी, 2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 240.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त अनुमोदित मानकीकृत लागत से कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु रू 697.91 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 357.65 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तावन लाख पैसठ हजार मात्र) तृतीय अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पूर्व नाम पैकफेड) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (2) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी)को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय।
- (4) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोईग उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (5) धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशङ्गात योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।
 - (7) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
 - (8) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - (9) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा।
 - (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (11) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित बाट आउट/प्रोपराइटी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (12) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (13) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
 - (14) प्रायोजना में जी.एस.टी. की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
 - (15) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (16) प्रायोजना के संबंध में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। शेष शर्तें मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1564/दस-2018, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 81/2018/1605(1)/एक-5-2018-64/2013,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 5- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पूर्ववर्ती नाम पैकफेड) संबंधित परियोजना प्रबंधक।
- 7- राजस्व अनुभाग-6
- 8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।